न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 217/2026
आदेश

07.08.2026 आवेदक अभियुक्त 1. बिमलेश चंद्रवंशी 2. शिवकुमारी देवी 3. दिलीप चंद्रवंशी एवं 4. विश्वामित्र चंद्रवंशी की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया है तथा आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बिजय प्रसाद के द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए यह कहा गया है कि आवेदक अभियुक्तों के द्वारा प्रस्तुत वाद को दाखिल किया गया था। प्रस्तुत वाद को आज सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की गई थी। आवेदक अभियुक्तगण इस वाद को संचालित करना नहीं चाहते हैं। आवेदक अभियुक्तगण इस वाद को वापस लेना चाहते हैं, इस कारण उन्होंने आवेदक अभियुक्तों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लिए जाने की प्रार्थना की है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन तिवारी को दी गई है। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के आवेदन का विरोध नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्तगण अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। इस कारण आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।